RNA: Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE, और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



शास्त्र RNA Daily Current Affairs 24 फरवरी 2025



भारत, चीन और G-20 की सुरक्षा / India, China and the Protection of G-20

संदर्भ:

विदेश मंत्री **एस. जयशंकर** ने जोहान्सबर्ग में **G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक** के दौरान **चीनी विदेश मंत्री वांग यी** से मलाकात की।

उन्होंने वैश्विक ध्रवीकरण के बावजूद **G-20 की प्रासंगिकता बनाए रखने में भारत और** चीन के प्रयासों को रेखांकित किया।

द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा:

- LAC और क्षेत्रीय मुद्दे:
 - बैठक में **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर
 - पूर्व की **सीमा शांति वार्ताओं की समीक्षा** की गई, जिससे **राजनयिक संवाद** को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
 - सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना भविष्य की वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य रहा।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- **यात्रा और कनेक्टिविटी: कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने**, सीमा पार नदी प्रबंधन, हवाई संपर्क, और यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने पर चर्चा हुई।
- आर्थिक और बुनियादी ढांचे में सहयोग: आर्थिक साझेदारी को मजबूत **करने** और **अवसंरचनात्मक विकास** को गति देने के उपायों पर विचार किया गया।

G20: वैश्विक आर्थिक सहयोग मंच:

- स्थापना और उद्देश्य:
 - 1999 में एशियाई वित्तीय संकट (1997-1998) के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए एक अनीपचारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया।
 - प्रारंभ में व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन अब इसमें व्यापार, **जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी** विषय भी शामिल हैं।

सदस्यताः

- इसमें **19 देश** शामिल हैं: अजेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस।
- **2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं:** यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीकी संघ (AU)।

3. अध्यक्षताः

- G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- वार्षिक रूप से अध्यक्षता घुमती रहती है, और प्रत्येक क्षेत्रीय समूह का एक देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।



G20 और भारत:

- G20 शिखर सम्मेलन 2023: भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक चर्चाओं के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया।
 - डिक्लरेशन लीडर्स (Leaders' Declaration) के माध्यम से **सर्वसम्मति** बनाने की क्षमता प्रदर्शित की।
- समावेशिता (Inclusivity) पर जोर:
 - एंगेजमेंट ग्रप्स (Engagement Groups) के माध्यम से युवा, महिलाएं, निजी **क्षेत्र और सिविल सोसाइटी** की भागीदारी सुनिश्चित की।
 - **जनता की चिंताओं** को प्राथमिकता दी।
- वैश्विक विकास लक्ष्यों का समर्थन:
 - SDG 1 "गरीबी उन्मूलन" को बढ़ावा देकर विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की दिशा में कदम उठाए।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज:** भारत ने **विकासशील देशों** की ओर से उनकी चुनौतियों और हितों को प्रभावी रूप से G20 में प्रस्तुत किया।

G20 का विकास और विस्तृत एजेंडा:

- प्रारंभ में, **G20 मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक मुद्दों** (Macroeconomic Issues) पर केंद्रित था।
- समय के साथ इसका एजेंडा विस्तृत हुआ, जिसमें अब शामिल हैं:
 - व्यापार (Trade)
 - सतत विकास
 - स्वास्थ्य (Health)
 - कृषि (Agriculture)
 - ऊर्जा (Energy)
 - पर्यावरण (Environment)
 - जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
 - भ्रष्टाचार-रोध (Anti-Corruption)









RNA Daily Current Affairs 24 फरवरी 2025



लैंगिक समानता स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट / Gender equality part of school curriculum: SC

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्कूल शिक्षा में लैंगिक समानता, नैतिक मूल्यों और महिलाओं के **प्रति सम्मानजनक व्यवहार** को शामिल करने पर जोर दिया. ताकि एक समावेशी और सम्मानपर्ण समाज की दिशा में कदम बढाया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

1. नैतिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता:

- स्कूलों में नैतिक शिक्षा और नैतिकता (Moral and Ethical Education) अनिवार्य होनी चाहिए।
- विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता सिखाने पर जोर दिया जाए।
- वर्तमान में कुछ स्कूलों में नैतिक शिक्षा होती है, लेकिन इसे नियमित रूप से पढाया जाना चाहिए।

2. लैंगिक समानता की शुरुआत घर से:

- लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव अक्सर **घर से शुरू होता है**।
- माता-पिता बेटियों पर अधिक प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन बेटो<mark>ं पर वही प्रतिबंध</mark> नहीं होते।
- महिलाएं समाज की 50% आबादी हैं, फिर भी वे असुरक्षा और तनाव में जीती हैं।
- महिलाओं के प्रति **मिसोजिनिस्टिक (misogynistic) मानसिकता** को बदलने के लिए शिक्षा आवश्यक है।

भारत में यौन हिंसा के प्रमुख कारण:

1. लैंगिक असमानता और सांस्कृतिक परंपराएं: पुरुष प्रधान मानसिकता और **दहेज, पर्दा प्रथा जैसी परंपराएं** महिलाओं के प्रति भेदभाव बढाती हैं।

2. विवाह संबंधी समस्याएं:

- बाल विवाह और पारंपरिक विवाहों में महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं।
- वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) अभी भी अपराध नहीं माना जाता।
- **3. शिक्षा और रोजगार की कमी:** महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी उन्हें हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

4. लिंगानुपात की समस्या:

- **महिला भ्रूण हत्या के कारण जनसंख्या में असंतुलन** बढ़ रहा है।
- इससे पुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा बढती है, जिससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढने की आशंका रहती है।
- **5. गरीबी और सामाजिक असमानता:** गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को अधिक यौन हिंसा का सामना करना पडता है।
- **6. आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियां:** पुलिस जांच की लचर व्यवस्था और मामलों की धीमी सुनवाई अपराधियों को सजा से बचने में मदद करती है।
 - कम सजा दर (low conviction rate) अपराधियों के हौसले बढाती है।

यौन हिंसा के दुष्परिणाम:

१. सामाजिक प्रभावः

- कलंक और अपमान: पीडित और उनके परिवार को समाज में शर्मिंदगी झेलनी पडती है।
- सामाजिक बहिष्कारः अविवाहित पीडितों को विवाह और सामाजिक स्वीकार्यता में कठिनाई होती है।

2. मानसिक और शारीरिक प्रभाव:

- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं**: अवसाद, चिंता, PTSD और आत्महत्या का खतरा बढ जाता है।
- अवांछित गर्भधारण एवं यौन संक्रामक रोगः कानूनी बाधाओं के कारण असुरक्षित गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है।
- HIV और अन्य संक्रमणों का खतराः सुरक्षा उपायों की कमी से जोखिम अधिक रहता है।

3. आर्थिक और शैक्षिक प्रभाव:

- रोजगार पर असर: पीड़ित काम छोड़ने या छुट्टी लेने को मजबूर होते हैं।
- शिक्षा पर प्रभावः पीड़ितों की पढ़ाई बाधित होती है, जिससे करियर पर नकारात्मक असर पडता है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. विधायी पहल:

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, २०१३: निर्भया कांड के बाद लागू, सख्त सजा और नए अपराध जोड़े
- POCSO अधिनियम, 2012: बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए।
- **POSH अधिनियम, 2013**: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने के लिए।
- भारतीय न्याय संहिता. २०२३: महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कडे प्रावधान।

2. नीतिगत पहल:

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015): लडकियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढावा।
- वन स्टॉप सेंटर (2015): हिंसा पीडित महिलाओं को सहायता।
- निर्भया फंड (२०१३): महिला सुरक्षा और हेल्प डेस्क के लिए।













अनुच्छेद 101(4) / Article 101(4)

संदर्भ:

स्वतंत्र सांसद **अमृतपाल सिंह** ने अपनी लोकसभा सीट गंवाने की आशंका के चलते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भारतीय संविधान के अनुचेद 101(4) के अनुसार, यदि कोई सांसद बिना अनुमति 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है. तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

अनुच्छेद १०१(४):

मुख्य प्रावधान:

- यदि कोई सांसद (MP) लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठक में अनुपस्थित रहता है. तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- **60 दिनों** की गणना लगातार होती है, जिसमें अवकाश (recess) शामिल होता है, लेकिन स्थगन (adjournment) शामिल नहीं होता।
- यदि **सांसद ने अनुपस्थिति** के लिए पूर्व अनुमति नहीं <mark>ली है, तो संसद</mark> उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकती है।
- हालांकि, अभी तक किसी भी सांसद की सदस्यता इस अनुच्छेद के तहत समाप्त नहीं हुई है।
- यदि सांसद वैध कारण प्रस्तुत करता है, तो सदन उसे छूट (condonation) दे सकता है।

सांसदों की अनुपस्थिति पर प्रतिबंध और सदस्यता समाप्तिः

1. अवकाश (Leave) की सीमा:

- समिति अधिकतम ५९ दिनों के लिए ही अवकाश स्वीकृत कर सकती है।
- यदि सांसद को **अतिरिक्त अवकाश** चाहिए, तो उसे **नया अनुरोध (fresh** request) जमा करना होगा।

2. अनुपस्थिति के कारण सदस्यता समाप्तिः

- यदि सांसद अनुमति नहीं लेता या उसका अवकाश अस्वीकृत हो जाता है, तो संसद उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकती है।
- यह निर्णय **सदन में बहुमत (majority vote)** से पारित होना चाहिए।

महत्तः

- यह प्रावधान **सांसदों की सक्रिय भागीदारी** सुनिश्चित करता है।
- लंबे समय तक **अनुपस्थिति को रोकने** में मदद करता है।
- यह **लोकसभा और राज्यसभा** दोनों पर लागू होता है।

अमृतपाल सिंह की स्थिति:

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत **डिब्रूगढ़** में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने २०२४ का लोकसभा चुनाव जेल से जीता, लेकिन संसद की केवल **2% बैठकों** (सिर्फ एक बैठक—जुलाई 2024 में शपथ ग्रहण) में शामिल हो पाए हैं।

जुलाई २०२४ से अब तक, हिरासत के कारण वह लगभग **50 सत्रों से अनुपस्थित** रहे हैं।

अनुच्छेद १०१ और उसके उपखंड:

अनुच्छेद १०१:

यह अनुच्छेद संसद की सदस्यता से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है।

1. अनुच्छेद १०१(१):

- कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का सदस्य नहीं हो सकता।
- यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता छोडनी होगी।

2. अनुच्छेद १०१(२):

- कोई भी व्यक्ति संसद और किसी राज्य की विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।
- यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए चुना जाता है, तो उसे एक सदन की सदस्यता छोडनी होगी।
- यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा **निर्धारित समय सीमा** के बाद उसकी **संसद की** सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

3. अनुच्छेद १०१(३):

संसद का कोई भी सदस्य **निम्नलिखित कारणों से** अपनी खो 훍. सदस्यता सकता (a) यदि वह अनुच्छेद 102(1) या 102(2) में दी अयोग्यता के अंतर्गत आता वह **अपने** हाथ से लिखित **डस्तीफा** अध्यक्ष स्पीकर (राज्यसभा) या (लोकसभा) को सौंप देता है।











RNA Daily Current Affairs 24 फरवरी 2025



REITS/INVITs: सेबी ने फास्ट ट्रैक फॉलो-ऑन ऑफर का प्रस्ताव रखा / REITS/INVITs: SEBI proposes fast track follow-on offers

संदर्भ:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITS) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITS) के लिए फास्ट-ट्रैक फॉलो-ऑन ऑफर (FPO) की अनुमति देने वाला एक ढांचा प्रस्तावित किया है।

इस पहल का उद्देश्य इन निवेश साधनों के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है।

Invits और REITs क्या हैं?

1. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)

- यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, जो छोटे और संस्थागत निवेशकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (जैसे सड़कें, राजमार्ग) में निवेश करने का अवसर देता है।
- **म्यूचुअल फंड और REITs के समान कार्य करता है**, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए अनुकूलित किया गया है।
- चूंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्थिर आय आने में समय लगता है, इसलिए InvITs लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त हैं।

2. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITS)

- यह म्यूचअल फंड के समान है, लेकिन यह रियल एस्टेट में निवेश करता
- REITS में निवेश करने से, निवेशक रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाली आय (किराया, पूंजी वृद्धि) का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।
- REITS का मुख्य उद्देश्य **छोटे निवेशकों** को रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने का अवसर देना है, बिना पूरी संपत्ति खरीदने की आवश्यकता के।
- भारतीय REIT नियमन के अनुसार, REITS का 80% निवेश किराए पर दी गई और पूरी तरह से विकसित व्यावसायिक संपत्तियों में होना चाहिए।
- अधूरे या निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में निवेश नहीं किया जा सकता।

SEBI का प्रस्ताव: प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रायोजकों (Sponsors) के लिए लॉक-इन प्रावधान

- **15% इकाइयाँ** (Units) जो प्रायोजकों और उनकी समूह कंपनियों को आवंटित की जाती हैं, 3 वर्षों के लिए लॉक-इन रहेंगी।
- शेष डकाइयाँ **१ वर्ष के लिए लॉक-डन** रहेंगी।

2. फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) आवश्यकताएँ

- सभी सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन अनिवार्य।
- एक नामित स्टॉक एक्सचेंज समन्वय के लिए चुना जाएगा।
- **न्युनतम २५% सार्वजनिक इकाइयों** का होना आवश्यक।

3. इकाइयों (Units) की नई जारी करने पर प्रतिबंध

ड्राफ्ट फाइलिंग और अंतिम लिस्टिंग के बीच, कोई **नर्ड डकार्ड जारी नहीं की जाएगी** (सार्वजनिक. अधिकार. या वरीयता जारी करने सहित). **सिर्फ** कर्मचारी लाभ योजनाओं को छोड़कर।

4. दस्तावेज़ और अनुमोदन

- **ड्राफ्ट FPO दस्तावेज़** मर्चेंट बैंकर द्वारा SEBI को अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- **अंतिम दस्तावेज** SEBI की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद दायर किया जाएगा।
- मर्चेंट बैंकर को ड्राफ्ट के साथ "ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट" भी जमा करना होगा।

प्रस्ताव का महत्त:

- तेज़ फंड जुटाने की प्रक्रिया फास्ट-ट्रैक FPO प्रणाली से पूंजी जुटाने में देरी नहीं होगी।
 - बाज़ार में विश्वास बढ़ेगा स्पष्ट लॉक-इन नियम और अनुपालन से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- पारदर्शिता में सुधार बेहतर वित्तीय प्रकटीकरण (Financial Disclosure) से सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) मानकों के अनुरूप पारदर्शिता बढेगी।
- डन्फ्रास्टक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा - पूंजी प्रवाह सुगम होगा, जिससे इन क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा।











एंटीबायोटिक प्रतिरोध को ट्रैक करने के लिए AI उपकरण / AI Tools to Track Antibiotic Resistance


संदर्भ:

IIIT-Delhi के शोधकर्ताओं ने CHRI-PATH, Tata 1mg और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से एक AI टूल AMRSense विकसित किया है।

यह टूल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की निगरानी और विश्लेषण में सहायक होगा. जिससे संक्रमणों के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) क्या है?

- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) तब होती है जब किसी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी आदि) में उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जो संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे **एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमलेरियल** आदि।
- ऐसे प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों को "सुपरबग्स" कहा जाता है।
- AMR के कारण सामान्य उपचार बेअसर हो जाते हैं<mark>ं. जिससे संक्रम</mark>ण बना रहता है और अन्य लोगों में फैल सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने AMR को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बडे खतरों में से एक माना है।









मुख्य निष्कर्ष (Key Findings):

- ICMR के AMR निगरानी नेटवर्क के तहत 21 तृतीयक देखभाल केंद्रों से 6 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया गया।
- एंटीबायोटिक दवाओं की जोड़ी और प्रतिरोध पैटर्न के बीच संबंधों की पहचान की गई, खासकर **सामुदायिक और अस्पताल में होने वाले संक्रमणों** में।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने प्रतिरोध के प्रारंभिक संकेतों और **रुझानों** की पहचान करने में मदद की, जिससे **समय पर हस्तक्षेप** के लिए उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हुईं।

AMROrbit स्कोरकार्डः

- यह अनसंधान की एक नई पहल है. जो अस्पतालों के प्रतिरोध रुझानों का दृश्यात्मक (visual) विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- स्थानीय डेटा की वैश्विक औसत से तुलना करके यह उन क्षेत्रों की पहचान करता है, जहां **हस्तक्षेप** (intervention) की आवश्यकता है।
- लक्ष्य यह है कि अस्पतालों को न्यूनतम प्रतिरोध और **धीमी परिवर्तन दर** वाले आदर्श वर्ग में रखा जाए।

नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावः

- यह AI टूल चिकित्सीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है।
- वास्तविक समय डेटा के आधार पर चिकित्सक सही निर्णय ले सकते हैं।
- अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल प्रबंधन (Antimicrobial Stewardship) प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है।

सीमाएँ और भविष्य की दिशाः

- AMRSense की प्रभावशीलता निगरानी डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
- डिजिटल डेटा की कमी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग **सीमित** हो सकता है।
- भविष्य में. पर्यावरणीय कारकों और एंटीबायोटिक बिक्री डेटा को एकीकृत करने की योजना है।

वैश्विक संदर्भ में AMR:

- AMR एक बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है, जिसे रोकने के लिए WHO **ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता** पर बल दिया है।
- **AI तकनीक का उपयोग करके** भारत जैसे देश **इस** संकट के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
- अस्पताल डेटा को व्यापक **सार्वजनिक स्वास्थ्य** मैट्रिक्स के साथ जोड़ना इस समस्या को समझने और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।











रुपया और डॉलर स्वैप नीलामी / Rupee & Dollar Swap Auctions

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने इतिहास की **सबसे बड़ी \$10 बिलियन डॉलर/रुपये खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी** आयोजित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य **बैंकिंग प्रणाली में बनी हुई** तरलता की कमी को दूर करना है।

रुपया और डॉलर स्वैप नीलामी (Rupee & Dollar Swap Auctions):

परिचय

- यह **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा उपयोग किया जाने वाला **एक उपकरण** है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता (Liquidity) प्रबंधन और मुद्रा विनिमय दर (Currency Volatility) स्थिर की जाती है।
- इस प्रक्रिया में बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर (USD) बेचते हैं और रुपये (INR) प्राप्त करते हैं, तथा एक निश्चित अवधि के बाद डॉलर को पुन: खरीदने का समझौता करते
- RBI इसे अपनी मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के हि<mark>स्से के</mark> रू<mark>प में ला</mark>गू करता है।

स्वैप नीलामी की प्रक्रिया:

1. पहला चरण (Buy Phase)

बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर (USD) बेचते हैं और बदले में भारतीय रुपये (INR) प्राप्त करते हैं।

2. दुसरा चरण (Sell Phase)

समय सीमा समाप्त होने पर, बैंक पूर्व-निर्धारित मूल्य (Pre-Determined Price) पर RBI से डॉलर पुन: खरीदते हैं।

स्वैप की विशेषताएँ:

- अवधि (Tenor): यह ६ महीने (Short-term) से लेकर ३ वर्ष या अधिक (Longterm) तक हो सकता है।
- **तरलता प्रबंधन (Liquidity Management):** यह अतिरिक्त तरलता (Excess Liquidity) को सोखने या बढाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग (Forex Reserve Utilization): RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का उपयोग मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लाग् करता है।
- विनिमय दर पर प्रभाव (Impact on Exchange Rate): यह रुपये में अस्थिरता (Rupee Volatility) को कम करने और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है।

रुपया और डॉलर स्वैप नीलामी के लाभ एवं चुनौतियाँ लाभ:

- बाज़ार में तरलता बढ़ाता है (Enhances Market Liquidity): यह बैंकों को दीर्घकालिक तरलता प्रदान करता है, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार होता है।
- रुपये की स्थिरता सुनिश्चित करता है: यह विदेशी मद्रा बहिर्वाह के दौरान रुपये पर दबाव को कम करने में सहायक होता है।
- बैंकों के लिए नकदी प्रवाह पूर्वानुमेय बनाता है (Predictable Cash Flows for Banks): इससे बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन और तरलता योजना में मदद मिलती है।
- अत्यधिक अस्थिरता को रोकता है (Prevents Excessive Volatility): यह मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढाव को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे निवेशक विश्वास बढता है।

चुनौतियाँ:

- विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव (Impact on Forex Reserves): बडे पैमाने पर स्वैप नीलामी करने से RBI के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।
- बाहरी कारकों पर निर्भरता (Dependence on External Factors): इसकी प्रभावशीलता वैश्विक बाज़ार की स्थिति, पूंजी प्रवाह, और ब्याज दरों के अंतर पर निर्भर करती है।
- बाजार प्रतिक्रिया की अनिश्चितता (Market Reaction Uncertainty): यदि इसे रणनीतिक रुप से नहीं लागू किया गया, तो यह मुद्रा सट्टेबाज़ी को बढावा दे सकता है।
- दीर्घकालिक समाधान की सीमितता (Limited Long-Term Solution): यह केवल अस्थायी समाधान प्रदान करता है. जबकि तरलता प्रबंधन के लिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता बनी रहती है।













आवेदन के बिना क्षमा / Remission without application

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे **क्षमा नीति (remission policy)** के तहत कैदियों की **समयपूर्व रिहाई (premature release)** पर विचार करें, भले ही उन्होंने इसके लिए आवेदन न किया हो।

यह फैसला पहले के निर्णयों से अलग है, जिनमें कैदियों को रिहाई के लिए आवेदन करना आवश्यक था।

रिहाई (Remission) क्या है?

- अर्थः
 - रिहाई (Remission) का मतलब किसी दोषी व्यक्ति की **सजा की अवधि** को कम करने की शक्ति है।
- कानुनी प्रावधान:
 - BNSS, 2023 की धारा 473 और CrPC, 1973 की धारा 432 के तहत यह नियम लागू होता है।
- राज्य सरकार की शक्ति:
 - राज्य सरकार किसी भी समय सशर्त या बिना <mark>शर्त रिहाई (Remi</mark>ssion) देने का अधिकार रखती है।
 - यदि दोषी व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता है, तो रिहाई रद्द की जा सकती है. और उसे बिना वारंट फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है।
- अन्य संवैधानिक प्रावधानों से भिन्न: यह राष्ट्रपति (अनुच्छेद ७२) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) की क्षमादान (Clemency) शक्ति से अलग होती है।

न्यायिक दृष्टिकोण में बदलाव:

महत्वपूर्ण फैसले (२०१३):

- Sangeet बनाम हरियाणा और Mohinder Singh बनाम पंजाब मामलों में **सुप्रीम कोर्ट** ने फैसला दिया कि **रिहाई (Remission) केवल दोषी के आवेदन** पर ही दी जा सकती है, राज्य सरकार खेच्छा से (suo motu) इसे नहीं दे सकती।
- इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों या अन्य अवसरों पर मनमाने ढंग से सामुहिक रिहार्ड को रोकना था।

नया दृष्टिकोण:

- अब सुप्रीम कोर्ट का मत है कि यदि किसी राज्य की रिहाई नीति (Remission Policy) में स्पष्ट पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) हैं. तो सभी पात्र दोषियों पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने आवेदन न किया हो।
- ऐसा न करना **अनुच्छेद १४ (समानता का अधिकार) का उल्लंघन होगा**, क्योंकि इससे उन लोगों के साथ भेटभाव होगा जो अपने अधिकारों से अनजान हैं।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख निर्देश:

- नीति निर्माण अनिवार्यः जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास **रिहाई नीति (Remission Policy) नहीं है, उन्हें दो** महीने के भीतर इसे लागू करना होगा।
- उचित शर्तैः 2.
 - रिहाई की शर्तें न्यायसंगत, गैर-दमनकारी और लागु करने योग्य होनी चाहिए।
 - पुनर्वास (Rehabilitation) और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए (संदर्भ: Mafabhai Motibhai Sagar बनाम गुजरात, २०२४)।
- रह करने की प्रक्रिया:
 - बिना कारण बताए रिहाई रह नहीं की जा सकती।
 - रद्द करने से पहले दोषी को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
 - छोटी-मोटी गलतियों को रिहाई रह करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
- पारदर्शिताः
 - रिहाई या अस्वीकृति का स्पष्ट कारण दिया जाना चाहिए।
 - यह जानकारी दोषियों को दी जानी चाहिए, ताकि वे कानूनी सहायता लेकर निर्णय को चुनौती दे सकें।

भारत में जेलों की स्थिति:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा, 2022

कुल कैदी: 5,73,220

जेलों की क्षमता: 4,36,266

- अधिभोग दर (Occupancy Rate): 131.4% (अर्थात्, जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी हैं)।
- अंडरटायल कैदी: ७५.८% (यानी. तीन-चौथाई से अधिक कैदी वे हैं जिनका मामला अभी अदालत में लंबित है)।

रिहाई के कारण समय से पहले जेल से छुटे कैदी

2020: 2,321 कैदी

2021: 2.350 कैदी

2022: 5,035 कैदी (तेजी से वृद्धि)











📆 RNA Daily Current Affairs 🔀 24 फरवरी 2025



बाल्टिक सागर / Baltic Sea

संदर्भ:

स्वीडिश पुलिस **बाल्टिक सागर** में **जर्मनी और फिनलैंड** को जोडने वाली **समुद्र के नीचे स्थित दूरसंचार केबल** में हुई संदिग्ध तोडफोड की जांच कर रही है। यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को लेकर गंभीर चिंताओं को जन्म देती है।

बाल्टिक सागर (Baltic Sea) के बारे में:

स्थिति और विस्तार:

- यह उत्तरी यूरोप में स्थित **एक अर्ध-संवृत (semi-enclosed) अंतर्देशीय** सागर है, जो उत्तर अटलांटिक महासागर (North Atlantic Ocean) का हिम्मा है।
- दक्षिणी **डेनमार्क से आर्कटिक सर्कल** तक फैला हुआ है।
- यह **रकैंडेनेवियाई प्रायद्वीप (Scandinavian Peninsula)** को शेष यूरोप मे अलग करता है।



संयुक्तता (Connectivity):

- अटलांटिक महासागर: डेनिश स्ट्रेट्स (Danish Straits) के माध्यम से जुडा हुआ।
- व्हाइट सी (White Sea): व्हाइट सी नहर (White Sea Canal) के द्वारा जुड़ा हुआ।
- उत्तर सागर (North Sea): किएल नहर (Kiel Canal) के माध्यम से जुड़ा हुआ।

भौगोलिक विशेषताएँ

खाड़ी (Gulfs):

इस सागर में तीन प्रमुख खाडियाँ हैं:

- 1. बोथनिया की खाड़ी (Gulf of Bothnia)
- 2. फिनलैंड की खाडी (Gulf of Finland)
- 3. रीगा की खाड़ी (Gulf of Riga)

खारा जल (Brackish Water):

- दुनिया का सबसे बड़ा खारा अंतर्देशीय जल **निकाय** माना जाता है।
- इसकी लवणता कम होती है, जिसका कारण है:
 - आसपास की भूमि से मीठे पानी (Freshwater) का भारी प्रवाह।
 - समुद्र की उथली गहराई (Shallow Depth)I
- 250 से अधिक नदियाँ और धाराएँ इसमें मिलती **हैं**, जिसमें **नेवा नदी (Neva River)** सबसे बडी है।

जलवायु (Climate):

- यह **उत्तर अटलांटिक दोलन प्रणाली (**North Atlantic Oscillation System) से प्रभावित है।
- मौसम में बदलाव भौगोलिक स्थिति, स्थल-समुद्र अंत:क्रिया (land-sea contrast) स्थलाकृतिक विशेषताओं (topography) के कारण होता है।
- मुख्य जलवायु प्रकारः
 - 1. **दक्षिणी भाग:** समुद्री पश्चिमी तट जलवाय् (Marine West Coast Climate)।
 - 2. **उत्तर और मध्य क्षेत्र:** समशीतोष्ण (Temperate Climate) I

द्वीप (Islands):

- इस सागर में 20 से अधिक द्वीप और द्वीपसमूह (archipelagos) स्थित हैं।
- सबसे बडा द्वीप: गोटलैंड (Gotland), स्वीडन के तट के पास स्थित।











RIBISISIES TESTSERIES

- 100+ Mock Test
- **78 Sectional Test**
- 40+ years PYPs
- **60+ Current affairs**







GA FOUNDATION









4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट














अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....



7878158882



PATHSHA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYO'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS



- **30 MOCK TESTS**
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- **60+ CURRENT AFFAIRS**

(TEST SERIES.)

40 MOCK TESTS

- 2 YEAR PYQ'S
- PRACTICE TEST
- **CURRENT AFFAIRS**

Download | Application

<u>></u> 7878158882

🗾 Apni.Pathshala 🧧 Avasthiankit



🕇 AnkitAvasthiSir 🔽 kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

- **▶ POLITY ▶ ECONOMICS**
- **► HISTORY ► GEOGRAPHY**



- **WEEKLY TEST**
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- ELIVE DOUBT SESSIONS
- **DAILY PRACTISE PROBLEM**









